(10)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)

A. 5011-II/15

361
28.8.15

20 Rs COURT FEE 20 रु
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

हीरालाल मिश्र पिता श्री जगन्नाथ राम ब्रा0निवासी ग्राम बंजारी तह0 देवसर जिला सिगरौली (म0प्र0) ————अपीलार्थी

बनाम

1— ठाकुरदीन पिता देवशरण जायसवाल

2— परनुआ पति ठाकुरदीन जायसवाल

दोनों निवासी ग्राम पापल , तह0 देवसर जिला सिगरौली (म0प्र0)

——— रेस्पा0गण

श्री. राधावल्लभ मिश्रा के द्वारा आज दिनांक 28.8.15 को प्रस्तुत किया गया

अपील विरूद्व आदेश अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीव(म0प्र0)अपील प्रकरणक्रमाक—301/अपील/2012—13 आदेश दिनांक 17/07/2015

द्वितीय अपील अन्तर्गत 44(2) म0प्र0 भू— राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है :—

1— यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय श्री मान अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा दिया गया आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पा0गण द्वारा की गई अपील मातहत अपर कलेक्टर सिगरौली जिला सिगरौली द्वारा म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा — 182(2) के अन्तर्गत दिये गये विधि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 5011–दो/15 जिला –सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री राधावल्लभ मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण की कायमी पर तर्क सुने । निगरानी में पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । ~~अनावेदक को~~ सूचना दी जावे। ~~अभिलेख की मांग की जावे।~~ पेशी दिनांक कैम्प रीवा सदस्य	

क्रमशः